एक्सप्रेसवे का किनारा बनेगा औद्योगिक हब, लैंडबैंक सुरक्षित

प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने उद्यमियों को किया आश्वस्त

जागरण संवाददाता, वाराणसी: सरकार प्रदेश में एमएसएमई और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सोमवार को रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन द्वारा होटल ताज में आयोजित काशी एमएसएमई कान्क्लेव में प्रमुख सचिव (एमएसएमई, निर्यात संवर्धन, अवसंरचना और औद्योगिक विकास) आलोक कुमार ने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से एनओसी सहित सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है और इसकी मानिटरिंग भी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सहित अन्य एक्सप्रेसवे प्रदेश में उद्योग स्थापना के लिए नई संभावनाएं खोल रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से पूर्वांचल में औद्योगिक विकास को और गति मिलेगी, जिसका किनारा उद्यम का हब बनेगा। वर्तमान में 70 हजार एकड़ जमीन लैंडबैंक के रूप में सुरक्षित है। जमीन की कमी की समस्या का समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत स्टार्टअप के लिए युवाओं को पांच लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण दिया जा रहा है, जिसमें चार साल तक ब्याज सरकार वहन करेगी। समय पर ऋण चुकाने वालों को 50 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी। अब तक 57 हजार युवा इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार अधिक सब्सिडी दे रही है। फैक्ट्री कानून में बदलाव की तैयारी है, जिसमें क्रिमिनल प्रविधान हटाकर उद्यमियों का भय दूर किया जाएगा। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य, संयोजक विनम्र अग्रवाल और सौरभ शाह ने औद्योगिक भूखंडों पर वीडीए द्वारा लगाए जाने वाले विकास शुल्क का मुद्दा उठाया।

रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित कान्क्लेव में दीप प्रज्वलन करते प्रमुख सचिव आलोक कुमार, विनम्र अग्रवाल, सौरभ शाह व देव भट्टाचार्य (बाएं से) ●